पत्रांक- अ0सं0क0-05-14/2014...../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना

पटना, दिनांक

विषयः- **12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होने वाले 18 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण एवं 46 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण हेतु क्रमशः केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कुल 2367.00 लाख एवं 763.75 लाख रुपये के अतिरिक्त वर्तमान अनुसूची दर के आधार पर प्राक्कलित राशि के अनुसार अन्तर राशि 1098.23 लाख रुपये अर्थात कुल 4228.98 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक 12वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा राज्य के 20 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के चिन्हित 75 प्रखण्डों एवं 8 शहरों के अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास यथा विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 419.17 करोड़ रुपये की योजना प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका कार्यान्वयन 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित जिलों में बेस लाईन सर्वे किये जाने की कारवाई की जानी है । राज्य के कुल 18 उच्च विद्यालय निर्माण का चयन शिक्षा विभाग एवं जिला स्तर पर करते हुए डी0पी0आर0 तैयार कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को विधिवत् उपलब्ध कराया गया । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 18 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रति इकाई 131.50 लाख रुपये की दर से कुल 2367.00 लाख रुपये की योजना स्वीकृत करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किस्त के रूप में 887.625 लाख रुपये विमुक्त किया गया है । जिसमें समानुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि 295.875 लाख रुपये अर्थात कुल रुपये 1183.50 लाख रुपये संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, बिहार, पटना को आवंटित किया जाना है ।

इसी प्रकार राज्य के 46 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण का चयन जिला स्तर पर करते हुए डी0पी0आर0 तैयार कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को विधिवत् उपलब्ध कराया गया । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 46 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण हेतु कुल 763.75 लाख रुपये की योजना स्वीकृत करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किस्त के रूप में 215.165 लाख रुपये विमुक्त किया गया है । जिसमें समानुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि 71.71 लाख रुपये अर्थात कुल रुपये

286.875 लाख रुपये संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, बिहार, पटना को आवंटित किया जाना है । कार्यकारी एजेंसी शिक्षा विभाग के स्वायत सेवी संस्था बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 के पत्रांक 3234 दिनांक 21.4.2015 एवं 3574 दिनांक 8.5.2015 द्वारा वर्तमान अनुसूची दर के आधार पर अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण हेतु अलग-अलग स्थानों के लिए वास्तविक रूप में on actual राशि 1687.97 लाख रुपये की कुल राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें अकास्मिक व्यय (एक करोड़ रुपये से एक प्रतिशत एवं उसके ऊपर आधा प्रतिशत) एवं soil testing quality control के लिए 1.5 प्रतिशत योजना प्राधिकृत समिति द्वारा आमान्य किये जाने के कारण अन्तर राशि कुल 895.37 लाख रुपये विशेष राज्यांश के रूप में विधिवत व्यय करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई है ।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की प्रति इकाई 131.50 लाख रुपये की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश है । केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि पर्याप्त नहीं है । जिस कारण कार्यकारी एजेंसी शिक्षा विभाग के स्वायत सेवी संस्था बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 के पत्रांक 7394 एवं 7395 दिनांक 30.12.2014 द्वारा दिनांक 15.9.2014 से प्रभावी नये अनुसूची दर के आधार पर उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु 142.77 लाख रूपये उच्च विद्यालय निर्माण हेतु वर्तमान में 18 इकाई के लिये पूर्व में प्रावधानित मोजायेक फ्लोरिंग के निर्माण में कुशल कारीगरों की अनुपलब्धता के कारण हो रही कठिनाईयों को देखते हुए इसके स्थान पर कोटा स्टोन फ्लोरिंग का प्रावधानित किया गया है जिसे वर्तमान में बढ़े हुए प्राक्कलित राशि 2569.86 लाख रूपये की कुल राशि के क्रम में अंतर राशि 202.86 लाख रुपये का वहन अतिरिक्त रूप में राज्यांश मद से किया जाएगा । प्रशासनिक स्वीकृति के मद्देनजर केन्द्रांश+राज्यांश के अतिरिक्त 202.86 लाख रुपये की विशेष राज्यांश की आवश्यकता है । जिसे स्वीकृत कर विशेष राज्यांश के रूप में कार्यान्वयन एवं विधिवत व्यय करने की स्वीकृति मंत्री परिषद् द्वारा प्रदान किया गया है ।

इस प्रकार उपर्युक्त दो प्रकार की योजनाओं के लिये कुल 4228.18 लाख रुपये प्रशासनिक स्वीकृति एवं विशेष राज्यांश के रूप में कुल 1098.23 लाख रुपये स्वीकृत कर योजना को पूरा करने की स्वीकृति मंत्री परिषद् द्वारा दी गई है ।

3. उपर्युक्त स्वीकृति/सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित अवधि में किया जाएगा तथा इस पर केन्द्रांश के रूप में होने वाले व्यय एवं अतिरिक्त राज्यांश की राशि का व्यय विधिवत मांग संख्या-30 के अन्तर्गत विहित मुख्यशीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051- निर्माण, उपशीर्ष 0307- अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- P-4250000510307, विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य में बिहार अकास्मिकता निधि से अग्रिम लेकर द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जायेगा ।

4. इस योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में केन्द्रीय दिशा निर्देश एवं वित्त विभाग के पत्रांक 989/बि0 दिनांक 16.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, कटिहार, दरभंगा एवं नालन्दा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार, दरभंगा एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अवर सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वी मंजिल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 257 पटना, दिनांक - 23.7.15

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव
23.7.15